

2020/00214

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

प्रार्थी/अपीलांत

श्री कान्तिलाल उपाध्याय  
जाति ब्राह्मण  
निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड़  
जिला सिरौही

किसम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 16 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
01.08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 06.02.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम सांतपुर के खसरा सं. 557/2/2 की भूमि को दिनांक 11.12.1996 को श्री अम्बालाल पुत्र श्री खेमचन्द बारोट निवासी सांतपुर को पत्रावली सं. 20/1996 में जारी किया गया था की सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 06.02.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम सांतपुर के खसरा सं. 557/2/2 की भूमि को दिनांक 11.12.1996 को श्री अम्बालाल पुत्र श्री खेमचन्द बारोट निवासी सांतपुर को पत्रावली सं. 20/1996 में जारी किया गया था की सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही



233-34  
13/8/20